न्यायालय– विशिष्ट न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. प्रकरण), हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी	:	पृथ्वी पाल सिंह, आर.जे.एस. (डी.जे. कैडर)
जमानत प्रार्थनापत्र सं.	:	272/2026 (CIS NO. 272/2026)
CNR NO.	:	RJHG050004092026

मलकीत सिंह उर्फ बच्ची पुत्र श्री वेदप्रकाश निवासी वार्ड नं. 20 टिब्बी पुलिस थाना टिब्बी जिला हनुमानगढ।

––प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये विशिष्ट लोक अभियोजक, हनुमानगढ ।

––अप्रार्थी

जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 56/2026 पीएस–टिब्बी
अपराध अंतर्गत धारा 8/21, 22 एनडीपीएस एक्ट

उपस्थिति :–
1. श्री करनी सिंह शेखावत अधिवक्ता– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से ।
2. विशिष्ट लोक अभियोजक – राज्य की ओर से ।

–: आदेश :– **दिनांक : 01–06–2026**

1. प्रार्थी/अभियुक्त मलकीत सिंह उर्फ बच्ची की ओर से यह जमानत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तुत किया गया। नकल विशिष्ट लोक अभियोजक को दिलाई गई। आरोपपत्र पेश हुआ। बहस जमानत प्रार्थनापत्र उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी/अभियुक्त से संबंधित मामले में अपेक्षित विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्र.सं.	मामले का विशेष विवरण	
1.	एफ आई आर सं.	56/2026
2	संबंधित पुलिस थाना	टिब्बी
3.	जिला	हनुमानगढ़
4.	एफआईआर में दर्ज अपराध धारा	8/21 22 एनडीपीएस एक्ट
5.	गिरफतारी की दिनांक	23.05.2026
	न्यायिक अभिरक्षा में भेजने की दिनांक	23.05.2026

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि दिनांक 24.02.2026 को थानाधिकारी हंसराज पु.नि. द्वारा अन्य मुलाजमान के साथ थाना से रवाना होकर गश्त करते हुए 4.35 पीएम पर पुलिस चौकी बशीर के आगे नाकाबंदी शुरू की गई तो नाकाबंदी के दौरान एक व्यक्ति सड़क आम पर गुडिया की तरफ से पैदल चलकर आया व नाकाबंदी देखकर अचानक मुड़कर अपनी मौजूदगी छिपाने का प्रयास करने लगा। शक होने पर उसे रोका गया व नाम पता पूछा तो उसने

अपना नाम गुरमीत सिंह पुत्र श्री शेर सिंह होना बताया। जिसकी तलाशी लिए जाने पर उसके पहने कोट की बांई जेब के अंदर एक काले रंग की मोमजामा थैली मिली जिसमें एक छोटी पीले रंग की मोमजामा थैली के टुकड़े में अवैध मादक पदार्थ हेरोईन/चिट्टा व नशीली दवाईयों के 05 पत्ते BUPET–N–Lite व KLONAZ 0.5 के मिले, जिनमें तीन पत्ते BUPET–N–Lite टेबलेट्स के जिनमें कुल 26 टेबलेट्स तथा दो पत्ते KLONAZ 0.5 के जिनमें कुल 20 टेबलेट्स थी। बरामदशुदा मादक पदार्थ हेरोईन/चिट्टा को थैली से बाहर निकालकर वजन किया गया तो 6.10 ग्राम तथा 46 नशीली गोलियों का वजन 5.52 ग्राम हुआ। बरामदशुदा मादक पदार्थ हेरोईन/चिट्टा व नशीली गोलियां अपने कब्जा में रखने बाबत् अभियुक्त के पास लाईसेंस/परमिट नहीं होने पर उसे गिरफ्तार किया गया। बाद मौका की कार्यवाही उक्त फर्द बरामदगी के आधार पर पुलिस थाना में एफआईआर सं. 56/26 दर्ज की जाकर अनुसंधान श्री वेदप्रकाश उ.नि. पीएस–टिब्बी को सुपुर्द किया गया। अनुसंधान के दौरान प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफतार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भिजवाया गया। मामले में बाद अनुसंधान अभियुक्तगण गुरमीत सिंह, सतपाल सिंह एवं मलकीत सिंह उर्फ बच्ची के विरूद्ध न्यायालय में आरोपपत्र पेश किया जा चुका है। पुलिस द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त मलकीत सिंह उर्फ बच्ची का आपराधिक रिकॉर्ड निम्नलिखित है :–

क्र.सं.	मुकदमा नंबर	धारा एवं पुलिस थाना	नतीजा अदालत
1	352/15	378 आईपीसी पीएस–ऐलनाबाद	–
2	378/15	379 आईपीसी पीएस–ऐलनाबाद	चालान
3	290/15	323 325 447 आईपीसी पीएस–टिब्बी	चालान
4	64/17	457 380 आईपीसी पीएस–टिब्बी	चालान
5	232/20	379 411 आईपीसी पीएस–टिब्बी	**चालान**
6	404/20	379 आईपीसी पीएस–हनु. टाउन	चालान
7	657/22	13 आरपीजीओ पीएस–रावतसर	सजा
8	452/23	4/25 आर्म्स एक्ट पीएस–टिब्बी	चालान
9	109/24	16/54 आबकारी अधिनियम पीएस–टिब्बी	चालान

3. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त मुकदमा झूठा व बेबुनियाद बनाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त गिरफ्तारी की दिनांक से अभिरक्षा में चल रहा है। जिसके न्यायिक अभिरक्षा में रहने से उसके पारिवारिक जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। मामले में आरोपपत्र पेश हो चुका है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। प्रार्थी/अभियुक्त के बाद जमानत फरार होने का अन्देशा नहीं है। अंत में प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।

4. इसके विपरीत विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध गंभीर आरोप है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन खारिज करने की प्रार्थना की।

5. उभयपक्ष के तर्को पर मनन किया गया एवं आरोपपत्र का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में दिनांक 24.02.2026 को अभियुक्त गुरमीत सिंह के कब्जा से उसके पहने कोट की बांई जेब के अंदर एक काले रंग की मोमजामा थैली मिली जिसमें एक छोटी पीले रंग की मोमजामा थैली के टुकड़े में 6.10 ग्राम अवैध मादक पदार्थ हेरोईन/चिट्टा व नशीली गोलियों के पांच पत्ते बरामद हुए जिनमें तीन पत्ते BUPET–N–Lite टेबलेट्स के जिनमें कुल 26 टेबलेट्स तथा दो पत्ते KLONAZ 0.5 के जिनमें कुल 20 टेबलेट्स कुल 46 गोलियां जिनका वजन 5.52 ग्राम पाए जाने पर उसे गिरफ्तार किया गया है। गुरमीत सिंह ने अपनी पूछताछ रिपोर्ट में हेरोईन/चिट्टा सतपाल सिंह से तथा नशीली टेबलेट्स प्रार्थी/अभियुक्त मलकीत सिंह से खरीद कर लाना बताए जाने पर पुलिस द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफतार किया गया है। आरोपपत्र के साथ संलग्न आपराधिक रिकॉर्ड के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण के अलावा विभिन्न धाराओं के तहत अन्य 09 प्रकरण दर्ज होने बताए गए है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी/अभियुक्त आपराधिक प्रवृति का होना दर्शित होता है। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त से जब्तशुदा Buprenorphine सॉल्ट की गोलियां मिली है और एनडीपीएस घटक की सूची के अनुसार इस साल्ट की अल्प मात्रा 01 ग्राम तथा वाणिज्यिक मात्रा 20 ग्राम रखी गई है। मामले में बरामदशुदा अवैध टेबलेट्स की मात्रा मध्यम श्रेणी की है। मामले में बाद अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त व अन्य अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपपत्र भी पेश किया जा चुका है। हमारे समाज में नशे का कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, न केवल नवयुवकों अपितु प्रत्येक आयु वर्ग के व्यक्तियों को नशे ने अपने शिकंजे में जकड़ा हुआ है। नशे का व्यापार इस कदर समाज में बढ़ चुका है कि यह समाज को दीमक की तरह खोखला कर रहा है। इस तरह के अपराध का प्रत्यक्ष ही नहीं, अपितु चोरी, डकैती जैसे अप्रत्यक्ष अपराधों को भी समाज में देखा जा सकता है। वर्तमान में इस क्षेत्र में मादक पदार्थो की तस्करी के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ रहे है। ऐसी स्थिति में मेरे मत में ऐसे गंभीर प्रकरणों के अपराधों के प्रति किसी प्रकार का नरम रूख रखना उचित नहीं होगा। अतः मैं मामले के तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुए मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उपयुक्त नहीं समझता हूॅ।

–:आदेश :–

6. अतः प्रार्थी/अभियुक्त मलकीत सिंह उर्फ बच्ची की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है ।

Sd/–

(पृथ्वी पाल सिंह)

7. आदेश आज दिनांक 01.06.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Sd/–

(पृथ्वी पाल सिंह)

नोट :– जांचा एवं प्रमाणित ।

CHARANJEET LAL

Digitally signed by CHARANJEET LAL
Date: 2026.06.04 13:04:58 +0530